

**सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-4(1)(ख) के अन्तर्गत
आबकारी विभाग से सम्बन्धित 16 बिन्दुओं पर लोक प्राधिकारियों से
अपेक्षित सूचनाओं का विवरण**

- (5) अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

विभाग में अभिलेखों के रूप में शासनादेश, निर्देश पत्रावलियां, पंजिकाएं तथा रिपोर्ट्स हैं। उक्त अभिलेख उन अधिनियमों/नियमों से आच्छादित हैं, जो निम्न अधिनियमों के अन्तर्गत बनाये/कार्यवाही के कारण तैयार किये गये है :—

क्रमांक	कार्यक्षेत्र	सुसंगत अधिनियम व नियम
1.	देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, भोंग तथा अन्य पदार्थ जो मादक घोषित हों।	: संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 एवं तत्सम्बन्धी नियमावली
2.(अ)	अफीम का क्रय-विक्रय एवं उसका दवाओं के लिए उपयोग	: स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985
(ब)	नारकोटिक पदार्थों एवं नियंत्रण	: उत्तर प्रदेश स्वापक औषधि नियमावली 1986
(स)	अफीम, चरस एवं गांजा का मादक पदार्थ के रूप में निषेध	: यथा उपरोक्त।
3.	चीनी, मिलों में उत्पादित शीरे का संग्रहण, श्रेणीकरण,	: उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 तथा तत्सम्बन्धी नियमावली

क्रमांक	कार्यक्षेत्र	सुसंगत अधिनियम व नियम
	संभरण व वितरण	
4.	अल्कोहल एवं नारकोटिक युक्त औषधियों का उत्पादन, कर वसूली आदि	: मेडिसिनल एण्ड ट्वायलेट प्रियरेशंस (एक्साइज ड्यूटीज़) अधिनियम 1955 एवं तत्सम्बन्धी नियमावली
5.	अल्कोहल का विक्रय	: यू0पी0 सेल्स ऑफ मोटर स्पिरिट, डीजल एण्ड अल्कोहल टैक्सेशन ऐक्ट, 1939 एवं तत्सम्बन्धी नियमावली
6.	अल्कोहल युक्त औषधियों का अन्तर्राज्यीय व्यापार	: स्पिरिचुअस प्रिपरेशंस (इण्टर स्टेट ट्रेड एण्ड कामर्स) कन्ट्रोल ऐक्ट, 1955 एवं तत्सम्बन्धी नियमावली।
7.	मिथाइल अल्कोहल नामक घातक विष को कब्जे में रखने व उसके क्रय पर नियंत्रण व इससे विषाक्त मदिरा काण्डों की रोकथाम	: विष अधिनियम, 1919 तथा उत्तर प्रदेश प्वायजन्स (रेगुलेशन ऑफ पेजेशन एण्ड सेल) नियमावली, 1994
8.	सूचना अधिकार सम्बन्धी कार्यवाहियाँ	: सूचना अधिकार अधिनियम-2005 एवं तत्सम्बन्धी शासनादेश / आदेश